MOST-UPGOM7

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग–5)

एफ 27(25)/ग्रुप–5/RDD/PMAY-G/H.Line/ 2016–17 जयपुर, दिनांक 28 अगस्त, 2017

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद, (ग्रा.वि.प्र)
समस्त, राजस्थान।

विषयः– मुख्यमंत्री हेल्पलाईन पर दर्ज परिवादों के त्वरित निस्तारण के सम्बंध में

विषयान्तर्गत लेख है कि मुख्यमंत्री हेल्पलाईन के दिशा–निर्देशों के तहत स्पष्ट निर्देशित किया गया है कि सर्वप्रथम प्रथम स्तर पर परिवाद् का समाधान किया जायें। यदि प्रथम स्तर पर परीक्षण उपरान्त सम्बंधित कार्मिक/अधिकारी को यह प्रतीत होता है कि समाधान प्रथम स्तर पर किया जाना सम्भव नहीं है, तभी प्रकरण द्वितीय स्तर (यथा जिला परिषद् कार्यालय) पर प्रेषित किया जायें इसी अनुक्रम में द्वितीय स्तर पर उत्तरदायी अधिकारी सम्पूर्ण प्रकरण का परीक्षण कर अपने स्तर पर परिवाद् का समाधान करने का यथा सम्भव प्रयास करें। यदि इसके उपरान्त भी परिवाद का समाधान नही होता है तभी परिवाद को तृतीय स्तर (यथा ग्रामीण विकास मुख्यालय) पर प्रेषित किया जाना है।

ग्रामीण आवासीय योजनाएं (PMAY-G, IAY etc.) अन्तर्गत स्वीकृतियां/देय अनुदान की किश्तों का भुगतान पंचायत समिति स्तर से जारी किये जाने का प्रावधान है। PMAY-G अन्तर्गत ग्राम सभा से अनुमोदित एवं जिला स्तर पर अपीलेट कमेटी द्वारा निस्तारित अन्तिम वरीयता सूची आवाससॉफ्ट पर अपलोड है। नियमानुसार वरीयता सूची के अतिरिक्त नये नाम जोडने का दिशा–निर्देशों में वर्तमान में कोई प्रावधान नहीं है, अपितु ऐसे प्रकरणों पर जिला स्तर से दिशा–निर्देशों अनुसार 13 बिन्दुओं की सक्षम स्तर से जॉच कर पृथक से सूची तैयार किये जाने के निर्देश है, जिस पर ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार से आवश्यक निर्देश प्राप्त होने पर तदनुसार ही कार्यवाही की जावेंगी।

अतः योजनान्तर्गत मुख्यमंत्री हेल्पलाईन पर दर्ज परिवादों के त्वरित निस्तारण के सम्बन्ध में निम्नानुसार कार्यवाही अपेक्षित है :–

क.सं	प्राप्त शिकायत का विवरण	अपेक्षित कार्यवाही	परिवाद निस्तारण का स्तर
1	बीपीएल सूची में नाम, परन्तु आवास स्वीकृत नहीं किया जा रहा है।	प्रार्थी का नाम प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण की वरीयता सूची में शामिल है या नहीं देखकर प्रार्थी को अवगत कराया जावें, कि वर्ष 2016–17 से पात्रता निर्धारण SECC-2011 के आंकडों से किया जाकर वरीयता सूची तैयार की गई है, जिसमें आपका नाम शामिल हैं/नहीं है। यदि है तो आपको आवास स्वीकृत किये जाने का सम्भावित वर्ष ..... है।	ग्राम पंचायत/पंचायत समिति
2	प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण का लाभ नहीं दिया जा रहा है।	प्रार्थी का नाम प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण की वरीयता सूची में शामिल है या नहीं देखकर प्रार्थी को अवगत कराया जावें, कि वर्ष 2016–17 से पात्रता निर्धारण SECC-2011 के आंकडों से किया जाकर वरीयता सूची तैयार की गई है, जिसमें आपका नाम शामिल हैं/नहीं है। यदि है तो आपको आवास स्वीकृत किये जाने का सम्भावित वर्ष ..... है। यदि नहीं तो प्रार्थी को प्रपत्र–ब संलग्न कर प्रस्तुत करने हेतु प्रेषित किया जावें।	पंचायत समिति/जिला स्तर

3	SECC-2011 की सूची में नाम था प्रधानमंत्री आवास योजना –ग्रामीण का लाभ नहीं दिया जा रहा है।	प्रार्थी को अवगत कराया जावें कि आपका नाम ग्राम सभा दिनांक में ..... कारण से काटा गया है एवं आप द्वारा अपील भी नहीं की गई थी। अतः आपको आवास का लाभ देय नहीं है।	पंचायत समिति/जिला स्तर
4	आवास की किश्त नहीं मिलना	प्रकरण की आवाससॉफ्ट पर जॉच कर, यदि स्वीकृत हो तो प्रथम किश्त FTO जारी किया जावें और यदि लाभार्थी द्वारा निर्माण की जिओ टेगिंग हो चुकी हो तो द्वितीय/तृतीय किश्त का FTO जारी कर लाभार्थी को भुगतान की कार्यवाही ..... FTO नम्बर से की जा चुकी है। सूचित किया जावें। यदि लाभार्थी द्वारा परिवाद में निर्माण कराया जाना बताया जावें, परन्तु आवाससॉफ्ट पर जिओं टेगिंग दर्ज नहीं हो तो प्रकरण की जॉच करवाकर दोषी के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए जिओं टेगिंग दर्ज कराकर FTO की कार्यवाही सम्पादित कर लाभार्थी को अवगत कराया जावें।	पंचायत समिति * यदि परिवादी का भुगतान FTO जारी हो चुका हो एवं भुगतान तकनीकी कारणों से नहीं हो रहा हो तो प्रकरण पीएमएवाई–जी स्पोर्ट एवं पीएमएवाई–जी हैल्पडेक्स/विभाग स्तर पर दर्ज कराकर निस्तारण करावें यदि फिर भी निर्धारित अवधि के भीतर प्रकरण का निराकरण नहीं हो रहा हो तो विभाग को ई–मेल से आवाससॉफ्ट के स्क्रीन सॉट/विवरण के साथ विभाग को अवगत कराकर प्रकरण का निस्तारण कराकर लाभार्थी को अवगत कराया जावें।

अतः मुख्यमंत्री हेल्पलाईन पर दर्ज परिवादों के उपरोक्तानुसार परीक्षण/कार्यवाही कराकर निस्तारण से शेष परिवाद/प्रकरण ही विभागीय/तृतीय स्तर पर प्रेषित करें।

(रोहित कुमार)
शासन सचिव, ग्रावि

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव,शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग।
2. ए.सी.पी., ग्रामीण विकास को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराने एवं सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

अधीक्षण अभियन्ता (ग्रावि)